न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
77 / 2021 / प्रार्थना पत्र	2021 / 97	17.02.2021	06.08.2025

अनवान

1– माया पुत्री नाथू ब्राह्मण निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– राकेश पिता नाथू लाल ब्राह्मण निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– सूरजकरण पिता नाथू लाल ब्राह्मण निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: **बनाम** ::

1– जयकिशन पिता रामकरण जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– हंसराज पिता रामकरण जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री शिवराज शर्मा –अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री गोविन्द सिंह हाड़ा –अभिभाषक विपक्षीगण 1, 2

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 842 खसरान किता 15 कुल रकबा 4.6200 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में से आराजियात 567 में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण वर्षों से आराजी संख्या 568 एवं 3960 / 567 से आ जा रहे है, एवं अपने कृषि यंत्र, हल बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि ले जाते रहे है। परन्तु दो माह पूर्व उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात में कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि कार्य करने में समस्या हो गयी है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 568 व 3960 / 567 में से 40 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में पहुंच हेतु विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 568 व 3960 / 567 भूमि में से 40 फीट दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 1, 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री संजय सिंह हाड़ा, श्री गोविन्द सिंह हाड़ा उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा।

विपक्षीगण संख्या 01, 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का अपनी आराजी संख्या 567 पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 568 व 3960/567 भूमि में से रास्ते का उपयोग करने एवं कृषि यंत्र हल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि उक्त रास्ते से लाने ले जाने का कथन पूर्णतया मिथ्या होकर बनावटी है। एवं उक्त रास्ते को जवाबदार(विपक्षी संख्या 1, 2) द्वारा बंद कर दिये जाने का कथन भी मिथ्या होकर बनवाटी है। क्यों कि जिस रास्ते का वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है वह रास्ता कभी भी नहीं था। प्रार्थीगण आराजी संख्या 567 के सटवा दक्षिणी कोने पर आराजी संख्या 574 एवं आराजी संख्या 574 के समीप बिलानाम आराजी नम्बर 571 स्थित है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 567 में आने जाने के लिए मुख्य रास्ता आराजी संख्या 79 से निकलते हुये बिलानाम आराजी नम्बर 571 जो प्रार्थीगण के नाजायज कब्जे में है एवं आराजी नम्बर 574 जो प्रार्थीगण के स्वयं के खाते की है से आराजी संख्या 567 में पिछले कई वर्षों से आते जाते है एवं इसी रास्ते का उपयोग उपभोग किया करते है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण आराजी नम्बर 3960/567 जो कि बिलानाम आराजी है जिस पर विपक्षीगण काबिज है, का कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर उक्त आराजियात में से रास्ता प्राप्त करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह मौके की वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए केवल विपक्षीगण को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने हेतु प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण के पास आने जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीया के आराजी नम्बर 567 एवं 574 दोनों ही वादीगणों/प्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज रिकार्ड होकर समीप स्थित है। तथा आराजी नम्बर 574 में से होकर 567 में प्रवेश किया जा रहा है। अतः वैकल्पिक रास्ता होने से आराजी नम्बर 568 प्रतिवादीगण की भूमि से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है। साथ ही भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट में भी रास्ता सुसंगत नहीं होना बताया गया है।

उभयपक्षों को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :- प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। जवाबदाता ने अपने जवाब में विपक्षीगणों द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 571 से होकर स्वयं प्रार्थीगण की आराजी 574 से होकर आराजी नम्बर 567 में वर्षों से आने जाने का जिक्र किया गया है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट एवं भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में भी रास्ता होना बताया गया है। अतः प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर पहुंच हेतु अन्य रास्ता मौजूद है जिससे वे आ जा रहे है। अतः रास्ते की अत्यांकित आवश्यकता की सिद्ध नहीं होती है।
2. तहसीलदार शाहपुरा एवं भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होना बताया है। जिससे प्रार्थीगण आ जा रहे है।

उपरोक्त विवचेन से स्पषट है प्रार्थीगण की आराजी 567 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वांछित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वांछित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं प्रार्थीगण की आराजी पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा